न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 513–तीन/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 287/निगरानी/06–07.

———

1– शैलेन्द्र कुमार मिश्रा
2– अनिल कुमार मिश्रा
3– संजीव कुमार मिश्रा
4– संजय कुमार मिश्रा
5– शिवेन्द्र कुमार मिश्रा
सभी पुत्रगण श्री विश्राम प्रसाद मिश्रा
निवासीगण ग्राम पड़ेनिया, तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म.प्र.
——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– पारसराम मिश्रा
2– विश्राम प्रसाद मिश्रा
दोनों पुत्रगण श्री गजाधर राम मिश्रा
निवासीगण ग्राम पड़ेनिया, तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म.प्र.
3– म.प्र. शासन .
——— अनावेदकगण

———

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री एस. के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदक क्र. 1 एवं 2
श्रीमती नीना पाण्डे, अधिवकता, अनावेदक क्र. 3.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 07 अगस्त 14 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 287/निगरानी/06–07 में पारित आदेश दिनांक 31–3–09 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा अधीक्षक, परिवर्तित भूमि नामांतरण पंजी क्र. 4 मं पारित आदेश दिनांक 12.7.2000 के विरूद्ध एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जिसके साध अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किए जाने का आवेदन पेश किया गया । एस.डी.ओ. ने अपने आदेश दिनांक 26–12–05 द्वारा विलंब माफ करते हुए प्रकरण को अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । जिसके विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 ने कलेक्टर सीधी के न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने स्वीकार की एवं एस.डी.ओ. का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्याालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त नेआलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की गई है ।

अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के संबंध में समुचित कारण बताए थे कि उसे आदेश की जानकारी 10.12.01 को हुई । अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्ष को सुनने के उपरांत विलंब क्षमा किया गया था । राजस्व मंडल, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्याालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाना चाहिए तकनीकि आधार पर प्रकरण निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है । कलेक्टर ने एस.डी.ओ. के आदेश को निरस्त कर त्रुटि की है अपर आयुक्त द्वारा भी कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अवैधानिकता की गई है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों को आदेश की जानकारी पूर्व से थी किंतु उसके द्वारा समयावधि में कोई कार्यवाही नहीं की । एस.डी.ओ. ने बिना आधार के विलब को माफ किया गया है, इस कारण कलेक्टर ने उनके आदेश को निरस्त कर कोई त्रुटि नहीं की है और ना ही अपर आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अवैधता की गई है । उनके द्वारा अंत में निगरानी निरस्त किए जानेका अनुरोध किया गया ।

5– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण में आदेश पारित किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन

किया गया । यह प्रकरण नामांतरण के संबंध में है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि आवेदक को आदेश दिनांक 9.2.02 को आदेश की जानकारी हो गई किंतु उसके द्वारा दिनांक 24.6.02 को आवेदन प्रस्तुत किया गया किंतु विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने का ब्यौरा उसके द्वारा नहीं दिया गया जबकि विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों में दिन प्रति दिन का समाधानकारक स्पष्टीकरण आवश्यक है, जो इस प्रकरण में न होने के कारण अपर आयुक्त ने कलेक्टर, सीधी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को निरस्त किया है । अपर आयुक्त के इस आदेश में कोई अनियमितता और अवैधानिकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर